KV Staff up in arms against Joint Commissioner-A news item

582. SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a news-item captioned "KV Staff up in arms against Joint Commissioner" that appeared in the SUNDAY OBSERVER dated September 11-17, 1994 in its New Delhi edition; and

(b) if so, what is Government's reaction thereto?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPTT. OF EDUCATION AND DEPTT. OF CULTURE) (KUMARI SELJA): (a) Yes, Sir.

(b) Kendriya Vidyalaya Sangathan has informed that the allegations made in the news item are baseless and do not warrant any further action.

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान में लम्बित उत्खनन कार्य

583. **श्री अनन्तराम जायसवाल :**
श्री दिग्विजय सिंह :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान में उत्खनन और अनुसंधान कार्य काफी लम्बे समय से लम्बित पड़ा हुआ है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि हले किए गए उत्खनन कार्य की रिपोर्ट तैर किए गए व्यय के ब्यौरों को प्रस्तुत हीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण है और उक्त उत्खनन रिपोर्ट एवं किए गए व्यय के ब्यौरे (स्थान-वार तथा वर्ष-वार) क्या है ; और

(घ) उत्खनन रिपोर्ट तथा किए गए व्यय के ब्यौरे कब तक प्रस्तुत किए जाएंगे एवं लम्बित उत्खनन और अनुसंधान कार्य कब शुरू किया जाएगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग तथा संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा) :

(क) पुरातत्व संस्थान, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (भारतीय पुरातत्व संस्थान नहीं) में उत्खनन और अनुसंधान कार्य काफी लम्बे समय से लम्बित नहीं पड़ा हुआ है।

(ख) जी, हां। पुरातत्व संस्थान द्वारा थानेश्वर में किए गए पहले उत्खनन कार्यों की रिपोर्ट अभी तक प्रस्तुत नहीं की गई हैं। इन पर हुए व्यय के विवरण समय-समय पर प्रस्तुत किए गये है। पुरातत्व संस्थान द्वारा धोलावीरा में किए गए उत्खनन - कार्य पूरे नहीं हुए हैं; यद्यपि 1993–94 के कार्य-काल के लिए अनुमति दी गई थी।

(ग) थानेश्वर और धोलापीरा में जिन निदेशकों ने उत्खनन-कार्य किए हैं, उन्हें रिपोर्ट भेजने के लिए बार-बार याद दिलाया गया है। व्यय का विवरण इस प्रकार है :

	वर्ष	व्यय
थानेश्वर	1987–88	8,24,861/-रु०
	1988–89	12,87,333/-रु०
	1989–90	11,46,449/-रु०
	1990–91	10,24,945/-रु०
धोलावीरा	1991–92	19,90,000/-रु०
	1992–93	21,90,000/-रु०

(घ) संबंधित अधिकारियों से कहा गया है कि वे अपनी रिपोर्टें भेज दें।

उच्चतर शिक्षा हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को दिए गए अनुदान

584. **श्री अनन्तराम जायसवाल :**
श्री दिग्विजय सिंह :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उच्चतर शिक्षा हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को दिए जा रहे अनुदान की राशि क्या है ;

(ख) क्या सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को उच्चतर शिक्षा हेतु दिए गए वर्तमान अनुदान की राशि को बढ़ाने पर विचार कर रही है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अनुदान आयोग को बढ़ाई गई राशि प्रदान करने के लिए समय-सीमा, यदि कोई हो, तो क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं एवं अनुदान/निधियों के अभाव में उच्चतर शिक्षा कहां तक प्रभावित होगी तथा उसके लिए कौन उत्तरदायी होगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा) :

(क) से (घ) आठवीं योजना के दौरान विश्वविद्यालय अनदान आयोग को उच्च शिक्षा के विकास हेतु 612.38 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है, जबकि सातवीं योजना में इस प्रयोजनार्थ 576.01 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई थी।

केन्द्रीय विश्वविद्यालय संसद के अधिनियमों द्वारा स्थापित किए जाते है और उनका पूरा अनुरक्षण और विकास व्यय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से सरकार द्वारा वहन किया जाता है। राज्य विश्वविद्यालय, राज्य विधान मंडल द्वारा स्थापित किए जाते है और उनका अनुरक्षण एवं विकास व्यय अपनी-अपनी राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग निर्धारित मानदण्डों के अनुसार पात्र राज्य विश्वविद्यालयों को केवल विकास अनुदान प्रदान करता है और वह भी उनकी आवश्यकताओं के केवल एक भाग के लिए। प्राथमिक रूप से यह संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वह उसके द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों और कालेजों को योजनागत और योजनेत्तर अनुदानों की उचित राशि प्रदान करे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने आठवीं योजना में विश्वविद्यालय को दी जाने वाली योजनागत सहायता का पैमाना उदार बना दिया है।

केन्द्रीय/सम विश्वविद्यालयों तथा दिल्ली के कालेजों में वित्तीय स्थिति की जांच करने तथा भविष्य में अनुदानों का निर्धारण करने संबंधी नीतियों और मानदण्डों का सुझाव देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने न्यायमूर्ति (डा०) के० पनैप्पा की अध्यक्षता में नवम्बर, 1992 में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की थी। इस समिति ने इन संस्थाओं की आन्तरिक लागत क्षमता सुधारने और अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने के लिए भी अनेक सिफारिशें की हैं। इस समिति की रिपोर्ट, तत्संबंधी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विचारों सहित केन्द्रीय/राज्य और सम-विश्वविद्यालयों के कुलपतियों तथा राज्य सरकारों संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को विचारार्थ तथा उनसे संबंधित सिफारिशों को अपनाने के लिए भेज दी गई हैं।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में महानिदेशक की नियुक्ति

585. **श्री अनन्तराम जायसवाल :**
श्री दिग्विजय सिंह :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारती पुरातत्व सर्वेक्षण में महानिदेशक का प